समाहरणालय, मधेपुरा।

ज्ञापांक...989-2......../स्था0,   दिनांक..01-11-2013

प्रेषित :-

अंचल अधिकारी,

कुमारखंड।

विषय : श्री निर्मल राम, उच्च वर्गीय लिपिक-सह-नाजीर, प्रखंड- सह- अंचल कार्यालय, कुमारखंड के विरूद्ध प्रपत्र-क में आरोप पत्र गठित कर नहीं भेजने के संबंध में स्पष्टीकरण का प्रेषण।

प्रसंग : इस कार्यालय का पत्रांक 217-2/स्था0, दिनांक 09-07-2013.

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहना है कि श्री निर्मल राम, उच्च वर्गीय लिपिक, प्रखंड कार्यालय, कुमारखंड माह नवम्बर 2011 से बिना कोई सूचना के अनाधिकृत रुप से अनुपस्थित रहने के कारण इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक 147-2/स्था0, दिनांक 03-03-2012 के द्वारा ही बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम-9(1-क) के तहत निलंबित करते हुए इनके विरुद्ध प्रपत्र-क में आरोप पत्र गठित कर अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा के माध्यम से मांग की गई थी। अपर समाहर्त्ता, मधेपुरा द्वारा अंचल कार्यालय का औचक निरीक्षण के दौरान पाया गया कि बाढ़ आपदा का लेखा-जोखा उनके समय से ही अद्यतन नहीं है, जिसके आलोक में इनके विरूद्ध आरोप पत्र प्रपत्र-क में गठित कर भेजने का निदेश दिया गया था। बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम-07 के अनुसार इन कर्मियों के विरूद्ध तीन माह के अन्दर आरोप पत्र गठित किया जाना था। परन्तु पाँच माह व्यतीत हो जाने के बाद भी आरोप पत्र गठित कर नहीं भेजा जाना यह दर्शाता है कि उक्त आरोपी को आपका संरक्षण प्राप्त है एवं किसी न किसी रूप से बचाया जा रहा है, जिसके लिए आप पूर्णतया उत्तरदायी हैं।

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 2178 दिनांक 28-02-2007 में निहित प्रावधान के आलोक में सम्पूर्ण विभागीय कार्यवाही एक वर्ष के अन्दर पूर्ण कर लिया जाना है। आरोप पत्र प्राप्त नहीं होने के कारण उक्त प्रकिया ससमय पूरी नहीं की जा सकी है। यह आपकी लापरवाही एवं कर्त्तव्य के प्रति उदासीनता को दर्शाता है।

अतएव इस संदर्भ में आप अपना स्पष्टीकरण समर्पित करना सुनिश्चित करें, अन्यथा क्यों नहीं इस कृत के लिए आपको उत्तरदायी मानते हुए आपके विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई हेतु विभाग को अनुशंसा भेज दी जाय। साथ ही साथ इन आरोपित कर्मियों के विरूद्ध आरोप पत्र साक्ष्य सहित गठित कर 24 घंटे के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

D
01/11/13

जिला पदाधिकारी,

मधेपुरा।